परिपत्र संख्या - वि0अनु0शा0/ 2022-23/ 489 / कम्प्युटर परिपत्र संख्या / 2223011 / राज्य कर

**कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

(वि0अनु0शा0 अनुभाग, लखनऊ)

दिनांक: 25 मई, 2022

**समस्त**
**अपर आयुक्त ग्रेड - 1,**
**अपर आयुक्त ग्रेड - 2 (वि0अनु0शा0),**
**संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0 / कार्यपालक / कॉर्पोरेट),**
**उपायुक्त / सहायक आयुक्त,**
**राज्य कर अधिकारी,**
**राज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

GSTN द्वारा विकसित एवं boweb portal पर उपलब्ध Enforcement Module से प्रदेश की सचल दल एवं वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या - 100/11-2-2022-9(8)/22 दिनांक: 18-02-2022 से दिए गए निर्देश के अनुपालन में दिनांक: 01-03-2022 से ऑनलाइन प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है। फील्ड में कार्यरत वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि खण्ड कार्यालय में तैनात अधिकारियों के लिए तथा जिन मामलों में एक साथ अलग-अलग जोन में जांच किया जाना अपेक्षित होता है उन मामलों में अन्य जोन के अधिकारियों हेतु FORM GST INS-01 निर्गत नहीं हो पा रहा है। National Enforcement Module पर उक्त कठिनाई के निराकरण हेतु GSTN को अवगत कराया गया है। जब तक GSTN द्वारा उक्त कठिनाई का निराकरण नहीं करा दिया जाता है तब तक किसी एक मामले में एक साथ अलग-अलग जोन में जांच करने हेतु अथवा खण्ड कार्यालयों में तैनात अधिकारियों को FORM GST INS 01 जारी करने के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से निम्न निर्देश दिए जाते हैं -

1. जोन के Sub-state Admin द्वारा खण्ड कार्यालय में तैनात अधिकारियों को Enforcement Officer का Role आवंटित कर दिया जाए जिससे उनके लिए FORM GST INS-01 जारी हो सकेगा।
1. किसी मामले में एक से अधिक जोन में एक साथ जांच कराया जाना अपेक्षित होने पर परिपत्र संख्या - 278 दिनांक: 01-07-2017 के प्रतिबंधात्मक खण्डों के अधीन रहते हुए सम्बन्धित केस आई0डी0 Enforcement Module पर अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन ट्रान्सफर करते हुए जोनल अपर आयुक्त ग्रेड - 1, राज्य कर की लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाएगा एवं जोनल अपर आयुक्त ग्रेड - 1, राज्य कर द्वारा प्रदेश के भी अधिकारी के लिए FORM GST INS-01 जारी किया जा सकेगा।
2. उक्तानुसार FORM GST INS-01 जारी किए जाने के पश्चात ज़ोनल अपर आयुक्त ग्रेड - 1, राज्य कर द्वारा संबन्धित केस आई0डी0 को अपने अधीनस्थ संबन्धित वि0अनु0शा0 इकाई को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
3. किसी जोनल अपर आयुक्त ग्रेड - 1, राज्य कर के पास अपर आयुक्त ग्रेड - 2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर के पद का भी अतिरिक्त प्रभार होने पर क्रमांक - 2 में वर्णित स्थिति में संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0) राज्य कर, मुख्यालय द्वारा अन्य जोन के अधिकारियों हेतु FORM GST INS-01 जारी किया जाएगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

25/5/2022

**(मिनिस्ती एस0)**
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश